MR. CHAIRMAN: Next Question. Q. No. 62

Illegal Satellite Communications Network at Ahmedabad

*62. SHRI SURESH KALMADI:†
SHRI RAMDAS AGARWAL:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an illegal satellite communciation network has been discovered at Ahmedabad recently and an NRI was able to smuggle in sophisticated equipment for communication which is so powerful that it by-passed even the Indian satellites to connect directly to the transponder of a U.S. satellite;

(b) whether terrorist links are also being probed by scrutinising the numbers to which these calls have been made; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) Yes, Sir, the illegal network operating through satellite was unearthed at Ahmedabad. Case has already been made over to CBI for further investigations, who have registered a Regular Case in the matter.

(b) and (c) As regard terrorist links, no such details have come to notice so far. Further investigations have already been taken up by CBI.

SHRI SURESH KALMADI: Mr. Chairman, Sir, it is amazing that an illegal satellite communication net work has been discovered at Ahmedabad. It is a very sophisticated equipment of communications. It has by passed all the Indian satellites and is directly connected to a U.S. transponder. It is amazing. I would like to know from the hon. Minister, who is the NRI who has imported this equipment? How many such satelliite networks are there, not only in Ahmedabad, Gujarat, but in the rest of the country? If such equipment has come in, how was it smuggled into the country? It is amazing that such pirate satellites have come into the country, especially connected directly to a U.S. transponder. I would like to know from the

*†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Suresh Kalmadi.

Minister: How has this happened? I would also like to know from the Minister, in the preliminary investigation, whether any ISI links have been established. I would also like to know from the Minister whether terrorists are using this facility. What is the purpose of bringing in this equipment? I understand that the CBI has raided the place and the police also have raided the place. I would like to know from the Minister whether they have found anything in the raids.

श्री राम विलास पासवान: सर, यदि आप कहें तो उस पूरे मामले का विवरण मैं दे सकता हूं। मैसर्स टेलीमार्केटिंग साल्यूशन का दुश्यंत भोजक नाम का एक व्यक्ति था जिसने अपने कारोबार के लिए 77, कोणार्क आपर्टमेंट, बस्तरपुर, अहमदाबाद परिसर में, एक एस॰टी॰डी॰ रहित, एस॰टी॰डी॰ उसको नहीं दी गयी थी, बिना एस॰टी॰डी॰ के 75 टेलीफोन कनैक्शन के लिए अप्लाई किया था। उन 75 टेलीफोन्स का 3.11.99 को उसको कनैक्शन दिया गया था। जब यह कनैक्शन दिया गया था, उस समय फील्ड स्टाफ ने यह जांच की थी कि इतने कनैक्शन एक आदमी किस कारण से ले रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? इसका जब पता लगाया गया तो पता चला कि मैसर्स अमेरिकन टैक्नोलॉजी और मैसर्स सैमी कंडक्टर मैटीरियल्स इंक 63, कोनारकोड स्ट्रीट, जर्सी सिटी, न्यू जर्सी, 07306, यू॰एस॰ए॰ की ओर से एक पत्र पेश किया गया जिसमें भोजक को विभिन्न उत्पादकों के लिए एकमात्र एजेंट नियुक्त किया गया था। इस पत्र के अनुसार 75 टेलीफोन कनैक्शन पार्टी को प्रदान किए गये थे और उपभोक्ता ने ई॰पी॰बी॰एक्स॰ ग्रुप से 25 कनैक्शन भी लिये थे। पार्टी ने फ्लैट केबल के जरिए ई॰पी॰ए॰बी॰एक्स॰ ग्रुप से 75 लाइनों और 25 एक्सटैंशनों को बढ़ाकर फ्लैट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पर टर्मिनल बनाया जो एक अज्ञात विदेशी उपग्रह के जरिए से जुड़ा हुआ था। 12-1-2000 को दूरसंचार विभाग और वी॰एस॰एन॰एल॰ सहित सी॰बी॰आई॰ के अधिकारियों ने छापा मारा। वहां 12-1-2000 से 18-1-2000 तक सभी टेलीफोन लाइनों की आने और जाने वाली कालों पर निगरानी रखी गयी परन्तु इसके दौरान कोई कॉल नहीं की गयी। यह जो हमें जानकारी मिली, 11 और 12 तारीख को सी॰बी॰आई॰ को सूचना मिली थी और वह सूचना मुम्बई के संबंध में मिली थी। मुम्बई में 11 और 12 तारीख को दो केस रेड किए गये, दो केस पकड़े गये जिसमें चार व्यक्ति पकड़े गये और उसकी इनवैस्टीगेशन के आधार पर अहमदाबाद में यह किया गया। उसके आधार पर सी॰बी॰आई॰ ने सैक्शन 3 और सैक्शन 6 ऑफ दी इंडियन वायरलैस ऐंड टेलीग्राफिक एक्ट और सैक्शन 120 बी और सैक्शन 420 ऑफ दी इंडियन पैनल कोड के तहत मामला रजिस्टर किया है।

श्री सुरेश कलमाडी: मंत्री महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो जांच की है तो ऐसे

और कितने इल्लीगल नैटवर्क हैं? एक तो आपको मिला है और ऐसे कितने वहां हो सकते हैं, क्या इस बारे में आपको कुछ अंदाजा मिला है? और जहां आपने इनको पकड़ा है, क्या आपने यह जांच की है कि कहां-कहां इन्होंने कॉल की थीं, कहां-कहां लांग डिसटेंस टेलीफोन कॉल्स की थी, क्या इसकी रिपोर्ट मिली है?

श्री राम विलास पासवान: इसके संबंध में तो सी०बी०आई० जांच कर रही है, हम भी जांच कर रहे हैं। अभी तक हमारे सामने जो मामले आए हैं, वह चार मामले आए हैं। दिलली में भी रेड की गयी और दिल्ली में 12 जनवरी को यह केस पकड़ा गया, एक केस दर्ज किया गया जिसमें तीन व्यक्ति गिरफ्तार हुए। कलकत्ता में 18 जनवरी को किया गया जिसमें उनके मालिक को गिरफ्तार किया गया। दूसरा, इस वक्त पूरे देश में जो वीसैट है, उसमें 9 कम्पनियों को लाइसेंस दिये गये हैं और जो नयी टैक्नोलॉजी है — क्योंकि वीसैट का तो देश के अंदर ही लाइसेंस दिया जाता है, देश के बाहर नहीं दिया जाता है। यह जितने काम हैं, वह इल्लीगल तरीके से कराए जा रहे हैं। उसके लिए हम लोग निगरानी कर सकते हैं और उसके लिए हम लोगों ने कहा है कि जो लोग भी दस से अधिक टेलीफोन की डिमांड करें उन्हें कनैक्शन दिया जाए और उसमें वह वीसैट की मांग करे तो फिर इसके ऊपर लगातार वॉच की जानी चाहिए कि यह किस परपज के लिए है, कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। लेकिन जो टैक्नोलॉजी आ रही है, उस टैक्नोलॉजी में सारी चीजों का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक तो हम फ्री कर रहे हैं और दूसरी तरफ वॉच करने का भी कम है। लेकिन जहां कहीं से भी शिकायत आती है — यह शिकायत भी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आयी और उसके ऊपर कार्यवाही की गयी है।

श्री रामदास अग्रवाल: सर, माननीय मंत्री जी ने जो बताया उस संबंध में मेरे प्रश्न के दो भाग हैं। पहला यह है कि जिन लोगों ने फोन किए, उनका रिकार्ड उनको मिला होगा। जहां से यह तफतीश की गयी और सी०बी०आई० ने रेड की, उन लोगों से भी क्या सरकार ने जानकारी प्राप्त की कि वह इस प्रकार की इल्लीगल ऐक्टीविटीज़ में किसी के साथ शामिल क्यों हुए क्योंकि अंतिम बैनीफिट तो उनको भी मिलने वाला है? इस प्रकार का जो नियम विरोधी कार्य किया गया, उसमें जिन लोगों ने फोन किया, उनको भी फायदा है। क्या आपको उन लोगों के बारे में कोई सूचना मिली? यदि सूचना मिली है तो आप उसके बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं, यह मेरे प्रश्न का पहला भाग है।

महोदय, मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि जिन लोगों ने विदेशों में भी इस प्रकार से कोई सम्पर्क स्थापित किया है, एन०आर०आई० पकड़े गए, आपने नाम भी दिए। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी उनको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि इस प्रकार की

गतिविधियों में संलिप्त लोग छूट न जाएं और वे पकड़े जाएं। उनको रोकना सरकार का दायित्व है और आप इस दायित्व को पूरा करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। लेकिन इनके बाहर से लिंक्स कितने गहरे हैं क्योंकि इस प्रकार के लिंक्स में जैसाकि ओरिजिनल प्रश्नकर्ता ने कहा कि हो सकता है कि हमारे देश के अंदर जहां कहीं ये गतिविधियां हो रही हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं या अन्य प्रकार टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, उनसे भी उनका कोई लिंक हो सकता है या संबंध हो सकते हैं, और उनके ऊपर कितनी निगरानी की व्यवस्था आप करने जा रहे हैं? यह मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है।

श्री राम विलास पासवान: सर, सी०बी०आई० जो जांच कर रही है, उसने उनके सारे कागज़ात जब्त कर लिए हैं और वह पूरी गंभीरता से इन मामलों की जांच कर रही है। जहां तक सीमा का सवाल है, उसके संबंध में हम लोग डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री से कॉन्स्टेंट टच में रहते हैं। जहां तक दूसरे देश का सवाल है, हमारा ऐसा कोई नेतृत्व अभी तक नहीं बन पाया है क्योंकि दूसरे देशों से जो टेलीफोन आते हैं, हमारा गेटवे तो अलग बना हुआ है जो वी०एस०एन०एल० के द्वारा है। यह सब जो कार्यवाही होती है, वह अनऑथराइज्ड तरीके से होती है लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने बताया, इस घटना के बाद हमारा डिपार्टमेंट इसमें और सुधार और मॉनीटरिंग करने के लिए विचार कर रहा है और उसके लिए हम लोग अलग से एक्सपर्ट लोगों की एक कमेटी बनाने पर विचार कर रहे हैं जिसमें दूसरे मंत्रालयों और निष्पक्ष लोगों के सहयोग से जो भी इसमें कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी, वह हम करेंगे।

श्री रामदास अग्रवाल: सर, मैंने यह प्रश्न पूछा था कि जिन लोगों ने फोन किया था, उनके बारे में आपको कोई जानकारी उपलब्ध हुई है या नहीं?

श्री राम विलास पासवान: मैंने कहा कि जो आदमी पकड़ा गया है, सी०बी०आई० ने उसके आधार पर मुंबई से अहमदाबाद में रेड किया। अहमदाबाद में रेड करने के बाद उसके सारे रिकॉर्ड्ज़ सीज़ हो गए हैं और सी०बी०आई० द्वारा उसकी जांच चल रही है। उसमें जिन-जिन लोगों के पास टेलीफोन आया है...हम यह भी नहीं चाहेंगे कि किसी आदमी को नाहक परेशानी में डाला जाए लेकिन उसके साथ-साथ जो दोषी व्यक्ति है, जो इस प्रकार की कार्यवाही करता है, उसको छोड़ा भी न जाए और चूंकि यह सी०बी०आई० के अधिकार क्षेत्र का मामला है, निश्चित तौर से हमें उम्मीद है कि वह इन सारे बिन्दुओं पर विचार कर रही है।

SHRI NILOTPAL BASU: Thank you, Mr. Chairman, Sir. Now, technology is a double-edged weapon, and I think, the implication of this case is very, very serious. When the new Telecom Policy was finalised, new technologies were allowed indiscriminately. But the

whole country was under the impression that the Government must have taken care of the security implications of the new network that was going to be set up. There is satellite communication, there is wireless, there is cellular mobile technology and all that. I have in my possession even a classfied document of the Government which states that the Government does not have the wherewithal to find out the number of cellular connections that a particular cellular operator had given and whether they are reporting correctly to the Government or not. That information is also not available with the Government. We want a white paper from the Government in this respect. I would like to know whether the Government will come out with a white paper to assure the House that the security of the country will be given paramount importance because we hear of people controlling the underworld in Bombay or other cities, from Dubai. We hear of MLAs' winning their elections and conducting their campaign from jail. All these cases are coming up and there are instances where narco activity is going on.... It has gone up after the introduction of cellular technology and we have grave doubts whether the Government, while finalising the new Telecom Policy and indiscriminately licensing new technologies, has taken care of the security concern. I want to know whether the Government will come out with a white paper assuring the Parliament and the entire nation that Government is serious about national security.

श्री रामविलास पासवान: देखिए, कोई भी गवर्गमेंट होगी, किसी भी तरह की गवर्नमेंट, वह नेशनल सिक्योरिटी के प्रति सीरियस रहती है। नेशनल सिक्योरिटी के प्रति सीरियस न रहने का कोई सवाल नहीं है। हमारी सरकार इस मामले में सीरियस है। जैसा कि मैंने कहा कि इस मामले में अभी तक कोई टेरोरिस्ट एक्टिविटीज, एंटी नेशनल एक्टिविटीज का कोई सबूत नहीं मिला है। हमने पहले भी बताया कि यह काम गैरकानूनी काम है। गैरकानूनी काम का मतलब है कि वी-सेट के ऊपर दीर्घकालीन, जो अंतराष्ट्रीय सीधा डायलॉग वायरलैस सेवा है, उस पर सरकार का एकाधिकार है, किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। वी-सेट के लिए इन्होंने कोई लाइसेंस नहीं लिया था। ऐसा नहीं है कि इन्हें लाइसेंस मिला था और उसके बाद इन्होंने किया था। इन्होंने लाइसेंस प्राप्त नहीं किया था। डब्ल्यू०पी०सी० से जो अनुमति थी उसमें भी इन्होंने वायरलैस प्लानिंग एण्ड कोऑर्डिनेशन सेफ फ्रिक्वेंसी का क्लीयरेंस नहीं लिया था और जो आयात सीमा शुल्क अधिनियम है उसमें भी हमें लगता है कि उल्लंघन किया गया है। इसलिए मैंने कहा कि

ये जो सारी एक्टिविटीज थीं वे उसी तरह की थीं और बिना सरकार की नोलेज में रखकर यह सारा काम कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि आप सरकार को एप्रिसिएट कीजिए। ज्यों ही हमारी नोलेज में मामला आया हमने तत्परता से कार्रवाई की, उन्हें पकड़ा। पकड़ा ही नहीं बल्कि दो-दो जगह छापे मारकार गिरफ्तार भी किया। आपकी जो आशंकाएं हैं उसके लिए हम स्वयं चिंतित हैं इसीलिए मैंने जान-बूझकर नाम लिया डिफेंस मिनिस्ट्री का, जान-बूझकर नाम लिया होम मिनिस्ट्री का क्योंकि ये सारे मंत्रालय ऐसे हैं जो हरेक चीज का मोनिटरिंग करते रहते हैं। इसलिए हम कहीं भी नेशनल इंटिग्रेशन के ऊपर किसी तरह का कोई ऐसा काम नहीं होने देंगे जिससे राष्ट्रीय हित पर किसी भी तरह की आंच आए।

श्री नीलोत्पल बसु: एंटी नेशनल एक्टिविटीज को रोकने के लिए सरकार का क्या इंस्टीट्यूशनलाइज अरेंजमेंट है?

श्री रामविलास पासवान: आप ऐसा कीजिए कि आपके जो-जो पाइंट्स हैं वे आप दे दीजिए। वे व्हाइट पेपर पर तो नहीं लेकिन लिखकर हम सदन को बता देंगे।

श्री नीलोत्पल बसु: नेशनल टेलीकॉल पोलिसी फाइनेलाइज करने के दौरान इस बात को मद्देनजर नहीं रखा गया है। यही तो हमारा चार्ज है।

SHRI E. BALANANDAN: Sir, what about the white paper?

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, whether they will come out with a white paper on this. This is a very serious issue.

SHRI S.R. BOMMAI: Sir, the answer to part(b) of the question is: "As regards terrorist links, no such details have come to nótice so far. Further invcstigations have already been taken up by the CBI." This answer itself proves that the Government has no mechanism or device to detect such clandestine activities. If the Government has got any, let the Government spell it out. Let us know about it.

श्री रामविलास पासवान: बोम्मई साहब हमारे सीनियर नेता हैं। जब हमारी नोलेज में यह मामला आया तो हमने सी०बी०आई०, सी०बी०आई० से ज्यादा डिटेक्ट करने वाली, पता लगाने वाली, हमारे देश में कोई बड़ी संस्था नहीं है? वह मामला अभी सी०बी०आई० के अधीन है। वह अपनी जांच में सारी चीजों, इन सारे बिंदुओं की जांच कर रहे हैं जो बिन्दु आपके दिमाग में, माननीय संसद सदस्यों और सदन के दिमाग में हैं। इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं?

SHRI S.R. BOMMAI: Sir, with all respect to the CBI, it is not an all-competent agency. I would like to know from the hon. Minister

whether they are finding out from other countries, where such a device is being used, if they have any new methods. It is a very fast changing world. Have they contacted the foreign Governments in this respect.

श्री रामविलास पासवान: सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि जहां 10 से अधिक टेलीफोन कनेक्शन की व्यवस्था दी गई है, जहां वी-सेट दिया गया है, उसे हम अलग से वाच कर रहे हैं। जो हमारा गेटवे है, वी०एस०एन०एल० का गेट-वे है, जहां से पास होता है, वहां अलग से मोनिटरिंग होती है। लेकिन प्राइवेट राइट्स हैं, इंडीविजुएल के राइट्स हैं, हम हर चीज़ को जहां-जहां भी शंका होती है, जहां इस तरह का काम होगा, उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं।

श्री सतीश प्रधान: सभापति जी, में सिर्फ एक ही बात जानना चाहूंगा। मंत्री जी ने अभी जवाब देते समय बताया कि उस कंपनी ने 75 कनेक्शन मांगे थे, पहली बार 20 कनेक्शन दिये गये, फिर 25 और कनेक्शन दिये गये। मैं जानना चाहता हूं कि एक ही कंपनी इतनी बड़ी तादाद में कनेक्शन लेती है, उस विषय में क्या यह जांच की जाती है कि उसका उपयोग क्या होता है और जिन्होंने यह सेंक्शन किया है, क्या उन्होंने इस बात का खुद समाधान किया कि बराबर इसका यूज़ हो रहा है। सी०बी०आई० अपनी तरफ से जांच करेगी लेकिन डिपार्टमेंटली जिन आफिसर्ज़ ने यह सब कार्यवाही में जल्दबाज़ी की, उनके बारे में आप क्या करने वाले हैं या आपने क्या किया है?

श्री रामविलास पासवान: सभापति महोदय, मैंने पहले ही बतलाया है कि ज्यों ही हमें मालूम हुआ कि 75 टेलीफोन कनेक्शन ले रहे हैं तो उसकी जांच की गई और उनको वी-सेट की अनुमति नहीं दी गई। जो टेलीफोन लिया था उसको इल्लीगल तरीके से यूज़ करना शुरू किया गया। उसी आधार पर इस तरह की बात आई कि 75 नहीं जिनके पास 10 कनेक्शन भी हैं, कोई इस तरह से करता तो उनके ऊपर निगरानी रख रहे हैं।

श्री सतीश प्रधान: जिस आफिसर ने सेंक्शन किया, उसके ऊपर क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री रामविलास पासवान: आफिसर की कोई गलती नहीं है। उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की थी कि कौन कंपनी है, कहां से है। उन्होंने उसका नाम दिया, उस कंपनी का लेटर दिया, उन्होंने बताया कि हमारे एजेंट हैं, न्यू जरसी की कंपनी है। सब कुछ वेरीफाई करने के बाद ही कनेक्शन दिया गया। उन्होंने उस कनेक्शन का दुरुपयोग किया। आप जानते हैं आजकल नई टेक्नोलोजी है। उस नई टेक्नोलोजी में डाटा भरते हैं, बायस डाटा भी भर दिया जाता है। कहीं कुछ होता है तो उसकी जांच होती है। हाई टेक्नोलोजी है, तेजी से बढ़ रही है, यह सब नॉलेज में आने पर ही कोई कार्यवाही की जा सकती है।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, precisely, the question is being avoided. The hon. Minister has mentioned about new technology and misuse of new technology. All that is understandable. But the question that arises is, the CBI had looked into the case after the complaint was made. The detection was not made by the CBI. The detection was not made by them. Somehow, accidently, detection was made in Bombay. As a follow-up, the CBI had taken it up. The question that is being raised by my friends and other Members is that liberalisation has its own impact; it can be misused. Therefore, what is the safeguard to ensure that it is not being misused? The Minister is speaking of personal liberty; personal liberty at the cost of national interest? Therefore, my specific question is, in view of the liberalisation and in view of the invasion of foreign telecom services and companies in the country, what is the inbuilt system? What is the inbuilt system to ensure that proper connection is being given?

Sir, I will just give a small example. Whenever a person applies for a passport, there is an enquiry before giving the passport. Therefore, why a pre-sanction enquiry in the case of those who look for large number of connections was not made? If it was made, then, the inter-connections would have been revealed. It only signifies that there is an inbuilt weakness in the system which the Minister has persistently refused to accept. Therefore, the question is, what is the inbuilt system to ensure that whenever a person applies for a large number of connections, they will be subjected to scrutiny? This is part (a) of my question. Part (b) of my question is, how that is going to be monitored? The telephones of political persons were being tapped. We all know that. Different political parties' telephones were tapped. They have the system. Therefore, my question is, why the telephones of these people, who have a large number of connections, are not being constantly monitored? Keeping this in view, will the Minister assure the House that there will be an adequate inbuilt system of safeguard, so that there is no scope for misuse in the future?

श्री रामविलास पासवान: सर, हम लोगों ने कई एक इसमें कदम उठाए हैं। ऐसी बात

नहीं है कि डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री इस पर विजिलेंट नहीं है। हम लोगों ने कई एक कमेटीज को ...(व्यवधान) सुन तो लीजिए ...(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: This is not the question. Please tell us what you are doing.

श्री रामविलास पासवान: देखिए, यह जनरल क्वेश्चन नहीं है। This is not a general question. This is a technical question.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I want a specific reply.

SHRI RAM VILAS PASWAN: Yes, that is why I am giving a specific reply. इस संबंध में हमारे मंत्रालय ने जुलाई 1995 में, मई 1997 में और जनवरी 1999 में तीन-तीन बार कमेटियों का गठन करके क्या-क्या इसमें हो सकता है वह किया है। अभी हमने फ्राड मैनेजमेंट सेंटर तीन जगहों पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। वह भी काम होने जा रहा है। इसलिए जिस तरीके से कार्यवाही हो रही है उस तरीके से उस कार्यवाही को रोकने के लिए जिसको न तो हम सिर्फ भाषणों से रोक सकते हैं और न ही सिर्फ जनरल चीजों से रोक सकते हैं, उसके लिए जो लोग एक्सपर्टस हैं जो उस मामले को जानते हैं उन्हीं की कमेटी बनाकर, उन्हीं के सजेशन के मुताबिक, उन्हीं के रिकमेंडेशन के मुताबिक कार्यवाही करनी पड़ती है। यह सारा का सारा मामला जैसाकि मैंने कहा कि अभी 2000 में आया है। लेकिन 1995 की जुलाई में कमेटी बनाकर उसके जो रिकमेंडेशंस हैं उन पर कार्यवाही की गयी। इमीडिएट सेप्टेम्बर में आदेश जारी किए गए। मई 1997 में सीनियर डी०डी०जी० विजिलेंस की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और जनवरी 1999 में जैसाकि हमने कहा कि फ्राड मैनेजमेंट सेंटर तीन जगह स्थापित करके इस तरह की गतिविधि को कैसे रोका जाए, कैसे पकड़ा जाए इस सब में सरकार कार्यवाही कर रही है।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: What is the recommendation?

MR. CHAIRMAN: Shri Narendra Mohan.

SHRI NARENDRA MOHAN: The hon. Minister has been very kind enough to mention that a lot of things have been done since 1995. *(Interruptions)*...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, the ignorance is a virtue. *(Interruptions)*...

SHRI NARENDRA MOHAN: Will the hon. Minister kindly answer me on this point whether, in 1995, there was satellite communication to the extent as it is today? Sir, satellite phones are available in the international market. With these satellite phones you

can have links with anybody anywhere in the world. The whole problem is that we don't have proper cyber laws. The information technology is there. The new communication systems are there. But we don't have the laws. That is why the Minister is trying to convict the miscreants under the Telegraphic Act, under the old, ancient, Act, which has no relevance to the offence which has been committed there. It is only a technical offence, as per the Minister. It is not a technical offence. It is much more than that. The whole security of the nation is involved. Once you are having satellite links, once you are having satellite phones, once you are having a communication system which is so complicated and so sophisticated that you can talk to anybody anywhere is the world by sitting in your room, are you having such laws which will be able to stop such things? Are you still open? We are becoming a global village now. For this global village, are you having proper cyber laws and proper communication laws? If you are not having such laws, are you going to amend your laws? And, if you are going to amend your laws, when those laws are going to be amended? This is my first point.

The second point is this. You have said. "सारे बिन्दुओं पर सी०बी०आई० जांच कर रही है"। What are those points on which the CBI is deliberating or investigating? Would you kindly enlighten this House? It is something very important.

श्री राम विलास पासवान: सर, इसमें दो चीजें हैं। Sir, there are two questions. As far as the first question is concerned, the cyber laws are being framed by the Ministry of Information and Technology.

The second point is that he said, "the operators would take complete clearance from the WPC". I have already said that when you take ten connections, that would be the subject of scrutiny. *(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Shri E. Balanandan. *(Interruptions)...*

श्री नरेन्द्र मोहन: मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। What are the point into which the CBI is investigating?

SHRI RAM VILAS PASWAN: The CBI is investigating the case. How can I talk on behalf of the CBI? *(Interruptions)*...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, what is this? What are the terms of reference *(Interruptions)*...

SHRI RAM VILAS PASWAN: Sir, I want to make it clear. The CBI is investigating the case. Let the CBI properly investigate the case. Even if I know, I will not disclose it here. *(Interruptions)*...How can I disclose it? *(Interruptions)*...How can I disclose it? *(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Shri E. Balanandan. *(Interruptions)*... Please. Shri Balanandan.

SHRI E. BALANANDAN: The issue under discussion has brought out very serious questions relating to the security of the country. Therefore, I demand that this issue may be taken up for a half-an-hour discussion atleast so that all aspects could be discussed.

Lack of security at Kathmandu Airport

*63. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had been pre-warned of the lack of security at Kathmandu Airport.

(b) whether it is also a fact that in spite of this no action was taken to take precautionary measures by the Indian Airlines at Kathmandu; and

(c) if so, what explanation Government have to give for their failure to ensure the security of passengers and aircraft against hijacking?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI SHARAD YADAV):(a) to (c) A statement is laid on the Table of the Sabha.